167

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र --I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0 एल0ए0 / एस0एस0--1 / श0स्था0नि0 / दिनांक--

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बगहा
जिला-- प0 चम्पारण

महाशय,

नगर परिषद, बगहा के वर्ष 2014--15 से 2016--17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1027 / 17-18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र--1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0--एल0ए0 / एस.एस.--1 / श0स्था0नि0 / 14714/394 दिनांक-- 23.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:--

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, प0 चम्पारण

तनवीर हसन 23/01/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र--1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
02 FEB 2018
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

1076

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1027 / 17–18

भाग – I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर परिषद–बगहा
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2014–15 से 2016–17
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक के योजना की रोकडबही, बैंक पासबुक (उपरोक्त रोकड़बही सम्बन्धित), योजना पंजी (वही), राजस्व वसूली, के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों, सामग्री खरीद की अभिलेखों, अभिश्रव की नमूना जाँच की गई।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	14.12.17 से 28.12.17
5	**कार्यपालक पदाधिकारी**	**कार्य अवधि**
	श्री विपिन कुमार यादव	19.01.2012 से 06.06.2015
	श्री वृन्दा लाल यादव	07.06.2015 से 19.08.2015
	श्री कपिलदेव कुमार	27.08.2015 से लगातार
	अध्यक्ष	**कार्य अवधि**
	श्री विजय राम	2012 से 2017 मई तक
	श्रीमति जरीना खातुन	2017 जुलाई से अब तक
	उप अध्यक्ष	
	श्री रविन्द्र कुमार	2012 से 2017 मई तक
	श्री जितेन्द्र कुमार राव	2017 जुलाई से अब तक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री गौरव प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री कौशल किशोर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राजनन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अप्रस्तुत
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन मे शामिल किया गया है।
10	कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ, दिनांक 28.12.17

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

165

भाग– II (क)
–शून्य–
भाग– II (ख)

कंडिका सं0–01 सफाई कार्य में अनियमित भुगतान रु 64.75 लाख

नगर परिषद बगहा द्वारा परिषद समिति की दिनांक 17.02.14 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सफाई कार्यो को आउट सोर्सिंग से कराने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के आलोक में निम्न संस्थानों को साफ–सफाई के लिये कार्य ज्ञापांक 464 दिनांक 01.10.2015 द्वारा आवंटित किया गया था।

क0सं0	एजेन्सी/स्वयंसेवी संस्था का नाम	आवंटित वार्ड	कुल मकानों की सं0	प्रति मकानों की दर से देय राशि
01	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	19 से 24 तक (06 वार्ड)	2862	50 रू प्रतिमाह
02	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	25 से 30 (06 वार्ड)	2760	50 रू प्रतिमाह
03	मे0 दलित जीवन मार्ग सेवा संस्था धानाचक, मझौलिया	1 से 3 तक एवं 5 (चार वार्ड)	2190	50 रू प्रतिमाह
04	चन्द्रावती देवी, सेवा संस्थान गोपालगंज	9,10 एवं 12 (तीन वार्ड)	1204	50 रू प्रतिमाह

शेष वार्डो की सफाई नगर परिषद के पॉच सफाई कर्मियों द्वारा की जानी थी। उपरोक्त सफाई कार्य के विरूद्ध में निम्न रूप से भुगतान किया गया था।

क0सं0	एजेन्सी का नाम	भुगतान की राशि	चेक संख्या	दिनांक	मद का नाम
01	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	143100	A710835	14.11.15	राज्य योजना
02	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	138000	A710836	14.11.15	--"--
03	मे0 दलित जीवन मार्ग सेवा संस्था धानाचक, मझौलिया	109500	A710834	14.11.15	--"--
04	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	138000	A710846	17.12.15	--"--
05	मे0 दलित जीवन मार्ग सेवा संस्था धानाचक, मझौलिया	109500	A710847	17.12.15	--"--
06	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	286200	A710868	12.01.16	--"--
07	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	138000	A710867	12.01.16	--"--
08	मे0 दलित जीवन मार्ग सेवा संस्था धानाचक, मझौलिया	109500	A710866	12.01.16	--"--
	कुल	1171800			

आगे इस कार्यालय के पत्रांक 50 दिनांक 12.01.16 के द्वारा एजेन्सीयों से की गयी एकरारनामा को रद्द करते हुए दिनांक 08.01.16 से आउट सोर्सिंग द्वारा सफाई कार्य को बन्द कर दिया गया।

पुनः परिषद समिति की सामान्य बैठक 17.03.15 के द्वारा सफाई कार्य हेतु निविदा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–588 दि0–18.12.15 से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना संख्या–3/15–16 प्रकाशित कराया गया था। न्यूनतम बिड के आधार पर मेसर्स स्वर्ग संस्था बेतिया को ग्रुप नं0–02 के वार्ड नं0 1,2,3,5,9,10,11,12 (कुल 08 वार्ड) का सम्पूर्ण सफाई का दायित्व मो. 160140 पर तथा ग्रुप नं0–01 के वार्ड नं0 19, 21, 22, 23 एवं 24 (कुल 05 वार्ड) का दायित्व मो. 104755 की राशि पर दिया गया था। यामाकला परिषद पटना को ग्रुप नं0–1 के वार्ड न0–25 से 31 (कुल 07 वार्ड) का सफाई का दायित्व मो0–143049/– की राशि पर दिया गया था। उपरोक्त सफाई कार्य के विरूद्ध में निम्न रूप से भुगतान किया गया था।

क्र0 सं0	एजेन्सी का नाम	भुगतान की राशि	चेक संख्या	दिनांक	मद का नाम
01	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A710878	16.02.16	राज्य योजना
02	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A710879	16.02.16	--"--
03	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A710888	18.03.16	--"--
	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A710889	18.03.16	
04	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A710893	25.04.16	--"--
05	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A710892	25.04.16	--"--
06	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	529790	A711304	14.06.16	--"--
07	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	286098	A711305	14.06.16	--"--
08	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711351	02.09.16	--"--
09	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711352	02.09.16	--"--
10	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711362	27.09.16	--"--
11	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711363	27.09.16	--"--
12	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711369	18.10.16	--"--
13	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711370	18.10.16	--"--
14	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711376	29.11.16	--"--
15	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711377	29.11.16	--"--
16	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711390	30.12.16	--"--
17	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711389	30.12.16	--"--
18	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711399	15.02.17	--"--
19	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711398	15.02.17	--"--
20	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711703	03.03.17	--"--
21	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711702	03.03.17	--"--
22	मे0 स्वर्ग संस्था, नौरंगाबाग, बेतिया	264895	A711714	20.03.17	--"--
23	मे0 यामाकला परिषद पीरबहोर, पटना	143049	A711715	20.03.17	--"--
	कुल	5302272			

1163

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. किसी एक संस्था को सम्पूर्ण कार्य न सौंप कर अलग अलग संस्थानो को कार्य सौंपा गया था।

2. सफाई कार्य के लिए निर्धारित शुल्क (50 रू प्रतिमाह) का चयनित दर का आधार अस्पष्ट था।

3. कार्यालय आदेश के अनुसार सफाई कर्ता को नगर परिषद के मशीनरी/संसाधन का उपयोग करने पर खर्च भुगतान किया जाना था। परन्तु नगर परिषद, बगहा द्वारा कोई भी खर्च वसुली नहीं की गई थी और न ही सफाई कर्ता के विपत्र से कोई भी कटौती की गई थी। लेखापरीक्षा दल द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन में यह स्पष्ट था कि नगर परिषद के मशीनरी का उपयोग एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था।

4. कार्यालय आदेश के अनुसार कार्य का देख– रेख सभापति/उप सभापति/वार्ड पार्षद के देख– रेख मे किया जाना था। कार्य विपत्र का भुगतान भी, गुणवता के आधार पर मासिक रूप से किया जाना था। परंतु विपत्रों/संचिका से सफाई कार्य का जॉच किए जाने का कोई प्रमाण नहीं था विपत्रों को भी बिना सक्षम पदाधिकारी के जॉच/पारित किये हुए ही भुगतान किया गया था। अतः भुगतान किये गये कुल राशि रू. 6475072 (5303272 + 1171800) अनियमित था।

5. परिषद कार्यालय के पत्रांक–50 दि0–12.01.2016 के अनुसार एकरारनामा को रद्द करते हुए दिनांक– 08.01.16 के प्रभाव से सफाई कार्य बंद करने का बैठक पंजी से स्पष्ट नही था।

जवाब में बताया गया कि–

1. सफाई कर्ता एजेन्सी का चयन नगर निगम भागलपुर, नगर परिषद मधेपुरा आदि के तर्ज पर किया गया था इस कारणवश बोर्ड द्वारा ट्रायल करने हेतु 50 रू प्रति मकान का दर निर्धारित किया गया।

2. नगर परिषद का कार्यक्षेत्र विस्तृत है तथा कुल इसमें 35 वार्ड है किसी एक एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण सफाई कार्य सम्भव नही था इस कारणवश विभिन्न एजेन्सीयों के माध्यम से सफाई कार्य कराया गया है।

3. भविष्य में दिशानिर्देश को ध्यान में रखकर विपत्रों को पारित किया जाएगा एवं उचित जॉच के उपरान्त भुगतान किया जाएगा। पूर्व में मशीनरी का उपयोग करने के लिए एन0जी0ओ0 को नही दिया गया था।

4. सशक्त स्थायी समिति द्वारा यह पाया गया कि प्रारंभिक कार्य गुणवत्ता पूर्ण नही था इस कारण वश पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर सफाई कार्य कराया जाना उचित समझा गया ताकि नागरिको को गुणवत्तापूर्ण सफाई कार्य किया जा सके।

5. भविष्य में टी.डी.एस. कटौती की जाएगी।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से सफाई कर्ता एजेन्सी का चयन किया जाना श्रेयकर था, इससे गुणवत्तापूर्ण सफाई प्राप्त होती। परिषद कार्यालय द्वारा बिना अभिश्रवों की जॉच एवं पारित किये हुए भुगतान किया जाना अनियमित था।

कंडिका सं0–02 अनुदान की राशि को अनुपयोगित रख वापस किया जाना– रू 80 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 111 दिनांक 28.02.2014 द्वारा कुल 80 लाख की स्वीकृति नगर परिषद बगहा को प्राप्त हुई थी इस राशि का उपयोग नगर परिषद के द्वारा परिषद

क्षेत्र के अन्तर्गत पथ के निर्माण एवं जिर्णोद्धार हेतु किया जाना था। इस राशि की निकासी नगर परिषद बगहा द्वारा की गयी थी तथा इसका इन्द्राज लेखापाल रोकड बही के पृष्ठ संख्या–5 के आय पक्ष में दिनांक 13.03.14 को किया गया था। इस राशि को सेन्टरल बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 2190644500 दिनांक 27.03.15 को जमा किया गया था। आगे कुल रू. 80 लाख की इस राशि सरकार को जनवरी 2017 को निम्न रूप से वापस किया गया था।

राशि	शीर्ष	दिनांक	बैंक का नाम
3000000	P 2217039110102	16.01.17	S.B.I. Bagaha
5000000	–वही–	–वही–	–वही–
8000000			

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. राशि की निकासी मार्च 2015 में किया गया था तथा इसे जनवरी 2017 में वापस किया गया था इस प्रकार यह लगभग 01 साल 10 महीने तक अवरोधित रखने के पश्चात वापस किया गया था। इतनी लम्बी अवधि तक अवरोधित रखा गया था।
2. बैक से प्राप्त सूद की राशि को वापस नहीं किया गया था।
3. राशि का उपयोग नही किया गया था। अतः नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत सडको का निर्माण एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता नही समझी गयी थी।
4. स्वीकृति आदेश में वर्णित था कि इस राशि का उपयोग से निर्मित सड़क को नगर निकाय की परिसम्पति माना जाएगा तथा इससे प्राप्त आय को नगर निकाय की आय माना जाएगा। अतः पथ निर्माण नहीं किये जाने से नगर परिषद बगहा को हानि हुई थी।
5. इस राशि को सहायक रोकडबही के पृष्ठ संख्या–04 के प्राप्ति पक्ष में 13.03.14 को इन्द्राज किया गया था। तथा कोषागार में इस राशि को 16.01.17 को वापस कर दी गयी थी परन्तु सहायक रोकड बही के व्यय पक्ष में इस राशि के वापसी का इन्द्राज 03.06.17 को किया गया था। इस कारणवश लेखापाल रोकड बही का 31.03.17 को अंतशेष रू. 80 लाख अधिक दर्शाया गया था। लेखापाल रोकड बही का 31.03.2017 का अंतशेष रू. 284703984 जिसमें इस राशि का सम्मिलित थी। इसके कारण लेखापाल रोकड बही का अंतशेष कोषागार की राशि से रू. 80 लाख अधिक था। उक्त दिनांक को बैंक समाशोधन विवरणी प्रस्तुत नही किया गया।

   जवाब में बताया गया कि पथ निर्माण को प्राप्त राशि को दिशानिर्देश के अनुरूप विभाग से प्राक्कलन पास कराकर निर्माण कराया जाना था। नगर परिषद द्वारा विभाग को भेजी गयी प्राक्कलन को स्वीकार नहीं किया गया था फलस्वरूप राशि वापस कर दी गयी थी इस प्रक्रिया में लगभग 01 वर्ष 10 महीने का समय लगा। सूद की राशि का आकलन किया जाएगा एवं विभाग को समप्रेषित किया जाएगा।

161

अतः सूद की राशि को शीघ्र ही विभाग को सम्प्रेषित किया जाय। नगर परिषद द्वारा सड़क निर्माण की प्राक्कलन को पूर्ण रूप से बनाया जाना था। राशि वापस किये जाने से नगर परिषद को निधि की हानि हुई।

कंडिका सं0–03 एल.ई.डी. लाईट के क्रय में अनियमितता रू. 0.57 लाख

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 ज में रू0 25.00 लाख एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु सरकारी विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वर्णित है, जो इस प्रकार है –

(i) नियम 131 ज के अन्तर्गत समावेशित अपवादों को छोड़कर रूपया 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रूपया) एवं इससे अधिक आकलित मूल्य की सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का विज्ञापन महानिदेशक, वाणिज्यिक गुप्तचर एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित इण्डियन ट्रेड जर्नल (आई0टी0जे0) तथा कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक प्रसार वाली दैनिक पत्र मे किया जाना चाहिए।

(ii) नियम 131 घ के प्रावधानानुसार सार्वजनिक अधिप्राप्ति प्रक्रिया व्यवस्था में दक्षता, मितव्ययिता एवं उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किये जाने चाहिए।

नगर परिषद बगहा द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों का क्रय निम्न प्रकार से किया गया था।

विपत्र सं.	दिनांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर प्रति नग	कुल	VAT	कुल राशि	पारित की गयी राशि
WS/ 14-15	06.10. 2014	45 वाट एल.ई.डी .कंपनी बिना पोल के	50	54238.09	2711904.50	135595.23 @5%	28,47,500	28,47,500
01/ 15-16	16.12. 2015	45 वाट एल.ई.डी .कंपनी बिना पोल के	50	54238.09	2711904.50	135595.23 @5%	28,47,500	28,47,500
		Total			5423809		56,95,000	56,95,000

इस क्रय के विरूद्ध नगर परिषद बगहा कार्यालय द्वारा निम्न रूप से भुगतान किया गया था।

चेक सं0 / दिनांक	कुल भुगतान	
Ch. No. A819426 dt. 12.10.14	14,00,000	4th SFC
Ch. No. A819437 dt. 18.12.14	13,05,125	4th SFC
Ch. No. A710845 dt. 23.12.15	10,14,116	4th SFC
Ch. No. A494158 dt. 18.12.14	15,34,171	13 th FC
Total	**52,53,412**	

लेखा परीक्षा टिप्पणी :–

नगर परिषद बगहा द्वारा लाईट अधिष्ठापन/कय में विभिन्न नियमो का पालन नहीं किया गया है :–

01. नियम 131ज के विरुद्ध विज्ञापन को इण्डियन ट्रेड जर्नल में विज्ञप्ति नहीं कराया गया था।

02. नगर परिषद बगहा एल0ई0डी0 लाईटों के कय हेतु मॉग के वास्तविक मॉग का आकलन नहीं किया गया था तथा दो बार कय किया गया था।

03. एल0ई0डी0 लाईटों के अधिष्ठापन के उपरांत उनकी गुणवत्ता जॉच नहीं की गयी थी। अधिष्ठापन संबंधि प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं था।

04. बिहार वित्तीय नियमावली-2005 के अनुसार परफॉर्मेन्स सिक्युरोटी की 10 प्रतिशत की कटौती यानि कुल पारित अभिश्रगों के अनुसार राशि रू 5,69,500 (कुल रू 56,95,000 का 10 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गई थी।

05. कय किये गए लाईटों का इन्दाज स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईटों का भुगतान किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि दिशानिर्देश को ध्यान में रखकर बिहार वितीय नियमावली 2005 के उपबन्धों के अनुरूप कय किया जाएगा तथा कय के पहले मांग का आकलन कर विज्ञापन प्रकाशन पर अमल किया जाएगा। यह भी बताया गया कि भण्डार पंजी का संधारण किया जाएगा तथा उसमें कय किये गये सामग्रियों की प्रविष्टि की जाएगी।

कंडिका सं0–04 असमायोजित सामाजिक सुरक्षा पेंशन अग्रिम राशि रू 17.32 लाख

नगर परिषद बगहा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण से संबंधित रोकड़ बही/दस्तावेजो की जॉच में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों/विकास मित्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण हेतु नगर परिषद द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया था परन्तु निम्न 20 कर्मचारियों/विकास मित्रों द्वारा वितरण उपरांत अवशेष राशि रू 1732700 अग्रिम प्राप्त करने के 14 माह से 45 माह बीत जाने के उपरांत भी अब तक नगर परिषद को वापस नहीं किया गया है, विवरण इस प्रकार है–

159

क0सं0	नाम	पदनाम	अग्रिम की अवशेष राशि	अग्रिम भुगतान की तिथि
01	विरेन्द्र राम,	विकास मित्र	600	28.02.14
02	राजु राम	विकास मित्र	184600	05.03.14
03	शब्बीर अहमद,	तहसीलदार	63700	15.10.16
04	बबीता देवी	विकास मित्र	9600	04.03.14
05	दिनेश राम	विकास मित्र	136400	05.03.14
06	प्रियंका कुमारी	विकास मित्र	65400	20.03.14
07	ममता देवी	विकास मित्र	148800	05.03.14
08	अनिता देवी	विकास मित्र	41800	01.04.14
09	नागेन्द्र साह	पं0सचिव	86400	24.02.14
10	करिश्मा देवी	विकास मित्र	38200	20.03.14
11	महेश रजक	विकास मित्र	4000	28.02.14
12	लक्ष्मण राम,	विकास मित्र	25200	20.03.14
13	रूद्रशंकर राम	विकास मित्र	1200	01.04.14
14	रूपेश कुमार चौधरी	क0 आपरेटर	224200	31.05.16
15	आशा कुमारी	विकास मित्र	32800	01.04.14
16	रोहित राम	विकास मित्र	2500	03.11.16
17	छठु राम	विकास मित्र	39600	01.04.14
18	अजय कुमार पासवान	क0आपरेटर	226100	15.10.16
19	आशीष प्रकाश	क0आपरेटर	392000	09.09.16
20	पप्पु बैठा	विकास मित्र	9600	01.07.15
			1732700	

1. अतिरिक्त पेंशन की राशि अग्रिम प्राप्तकर्ताओं द्वारा वर्षों से अपने पास रखा गया था।

2. सहायक रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में विभिन्न कर्मियों/विकास मित्रों को दिए गए अग्रिमों की राशि दिखाया गया था परन्तु उसमें पेंशन वितरण के अभिश्रयों की राशि दर्ज नहीं की गई थी। जबकि नियमानुसार अग्रिम भुगतान की राशि अग्रिम पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए एवं पेंशन वितरण के अभिश्रयों को राशि सहायक रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में दर्ज किया जाना चाहिए था।

जवाब में बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा अग्रिम राशि की वसूली हेतु नोटिस दिया जा रहा है। शीघ्र ही वसूली की जाएगी।

कंडिका सं0--05 मोबाईल टॉवरों का पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि रू 20.2. लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर परिषद में प्रति टावर पंजीकरण शुल्क रू 40000 एवं नवीकरण शुल्क प्रति वर्ष रू 10000 निर्धारित किया गया । उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा एवं नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों के संख्या के आधार पर लिया जाएगा। टावर पर एक से अधिक एंटिना लगाने पर अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क लगाया जाएगा। पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना कोई भी संचार टावर स्थापित नही किया जाएगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

नगर परिषद बगहा अन्तर्गत मोबाईल टावर से संबंधित दस्तावेजो की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2012–13 के बीच कुल 21 टावरों में केवल 7टावरों के लिए कंपनी द्वारा पंजीकरण शुल्क जमा किया एवं शेष 14 टावरों के लिए शुल्क जमा नही किया गया । इस प्रकार पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि रू 5.60 लाख बकाया है। उसी प्रकार दिनांक 31.03.2017 तक नवीकरण शुल्क रू 17.80 लाख के विरूद्ध कंपनी द्वारा अब तक केवल रू 3.20 लाख ही जमा किया था एवं शेष राशि रू 14.60 लाख बकाया था। इस प्रकार कुल 21 स्थापित मोबाईल टावरों के लिए विभिन्न मोबाईल कंपनी से पंजीकरण शुल्क/नवीकरण शुल्क के रूप में 2016–17 तक राशि रू 20.20 लाख वर्षो से बकाया था।

1. वर्ष 2002–03 से 2012–13 के बीच स्थापित टावर के लिए राशि बकाया था।
2. 2012–13 के बाद 2016–17 तक नगर परिषद क्षेत्र में कोई मोबाईल टावर स्थापित की भौतिक जॉच का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया कि मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। वसूली का प्रयास जारी है।

कंडिका सं0–06 कम जमा/नहीं जमा राशि रू 3.03 लाख

बिहार वितीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हे अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो मे उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

नगर पंचायत, बगहा के 2014–15 से 2016–17 (नवम्बर 2017 तक) के जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित होल्डींग रसीदो एवं विविध रसीद से प्राप्त की गई राशि कोषागार/बैंक में जमा नही कराया गया था। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है।

(क) होल्डिंग रसीद से प्राप्त राशि जमा नहीं राशि रू 149563 लाख

क0सं0	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	संग्रहकर्ता का नाम
01	772029	741767	30262	राकेश कुमार
02	593578	577174	16404	इसमायल मिया
03	403058	367465	39135	दवारिका राम
04	165310	122092	43218	छोटेलाल राम
05	20544	0	20544	शबीर अहमद
			149563	

उपरोक्त विवरणी के अनुसार होल्डींग रसीद से प्राप्त की गयी राशि रू 149563 संग्रहकर्ता द्वारा नगर कोष में शीघ्र जमा कराया जाय।

157

(ख) विविध रसीद से प्राप्त राशि जमा नहीं राशि रू 1.54 लाख

क0सं0	रसीद	रसीद सं0	दिनांक	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि	संग्रहकर्ता का नाम
01	M.R	8001–9000	01.04.15–02.05.17	85731	0	85731	आशीष प्रकाश
02	–"–	101–105	19.07.17–26.07.17	4000	0	4000	––"––
03	–"–	9609– 9693	29.06.15–31.08.16	39500	0	39500	अजय कुमार
04	–"–	01–52	20.05.17–19.11.17	51000	29000	22000	––"––
05	–"–	9801–9900	20.01.15	1500	0	1500	शबीर आलम
06	–"–	9901–10000	20.01.15–20.02.16	1500	0	1500	––"––
						154231	

उपरोक्त विवरणी के अनुसार विविध रसीद से प्राप्त की गयी राशि रू 154231 संगहकर्ता द्वारा नगर कोष में जमा नहीं कराया गया था जिसे शीघ्र जमा कराया जाय।

जवाब में बताया गया कि कम जमा करायी गयी शीघ्र जमा कराया जा रहा है।

कम जमा राशि को विविध रसीद के माध्यम राकड़ बही में लिखा गया था परन्तु बैंक में जमा का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बैंक में जमा से संबंधित साक्ष्य अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका सं0– 07 सैरात की विभागीय वसूली की कम जमा राशि रू 1.17 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 9 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं का दायित्व है कि वे लेखा तालिका के एकाउण्ट कोड (लेखा संहिता) एवं लेखा प्रविधियों, नियमों और प्रपत्रों को तथा नियम के अनुसार विधिवत सारे लेखा पुस्तकें जो कि आय– व्यय, सम्पत्तियों और दायित्वों को नगरपालिका के अलग–अलग प्रदत विधि के संदर्भ में पर्याप्त रूप से रिकार्ड का संधारण करे एवं उसका अनुसरण करे

नगर परिषद, बगहा के वर्ष 2014–15 से 2016–17 से संबंधित बन्दोबस्ती की विभागीय वसूली से संबंधित रसीदों की जॉच मे पाया गया कि वसूली गयी राशि कम जमा किया गया था जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	अवधि	सैरात का नाम	वसूली गई राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा राशि
01	01.04.14 से 30.11.17	गुदरी बाजार	109132	82000	27132
02	01.04.17 से 30.11.17	पार्किंग वसूली	689708	599000	90708
		कुल राशि			117840

उपरोक्त वित्तीय अवधि में सैरातों की विभागीय वसूली से प्राप्त राशि रू 117840 नगर परिषद कोष में शीघ्र जमा कराया जाय।

जवाब मे बताया गया कि सैरात बन्दोबस्ती का बकाया राशि शीघ्र वसूल किया जा रहा है।

कंडिका सं0– 08 मार्गदर्शिका के विपरीत योजना का चयन कर अनियमित व्यय

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सकल्प संख्या 673 दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में शहरी क्षेत्र में हर नालो–गली का पक्कीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय" योजना को कार्यान्वित किया गया। इस योजना के तहत नगर विकास के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक शहर के प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 2090 दिनांक 21.02.16) द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया। इस निर्देश के तहत कंडिका संख्या 3(।) में इस प्रक्रिया में चिन्हित किए जाने वाले सड़को में पी0सी0सी0 इंटरलांकिंग टाइल्स पथों का निर्माण किया जाएगा। जिस गलियों में पी0सी0सी0 किया जाना है वहाँ पथ के साथ साथ नाली का निर्माण भी किया जाय बशर्ते कि पूर्व में नाली न हो।

नगर परिषद, बगहा के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक की योजनाओं की जॉच में पाया गया कि पंचम राज्य वित आयोग का आवंटन का 20 प्रतिशत राशि मुख्य मंत्री शहरी नली– गली मद में शामिल कर नली– गली योजना का कियान्वित किया जाना था। नगर परिषद द्वारा पंचम राज्य वित का 20 प्रतिशत एवं मुख्यमंत्री शहरी नली– गली मद को शामिल न कर अलग–अलग योजना कियान्वित किया गया था। कियान्वित योजना के योजना प्रतिवेन प्राक्कलन तथा मापी पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य में नाली निर्माण का न तो प्रावधान किया गया और न ही उसका निर्माण किया गया। इस सड़क के दोनो तरफ पूर्व से किसी प्रकार का नाला निर्माण का निर्देशित प्राक्कलन नही था। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	मद का नाम	योजना सं0	योजना का नाम	प्रा0 राशि	व्यय की राशि
01	5th SFC of 20%	01/16–17	वार्ड नं0–1 में रेलवे ढाला रामजस राय के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	951413	951413
02	–"–	02/16–17	वार्ड नं0–2 में अफसन मिया के घर से बालकृष्ण पाठक के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी.सी.सी. निर्माण कार्य	952304	952303
03	–"–	03/16–17	वार्ड नं0–3 में आंगनवाड़ी केन्द्र से ढालू राम के घर के तरफ जाने वाली सड़क तथा विरेन्द्र पाठक के घर के कोना से रिजू चौबे कोना तक जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 ढलाई कार्य	951413	951413
04	–"–	04/16–17	वार्ड नं0–4 में खोमारी साह के घर से रामेश्वर बीन के घर होते हुए राजू कुशवाहा के घर तक पी.सी.सी. कार्य	450914	450914
05	–"–	05/16–17	वार्ड नं0–04 में विनञ्चाचल यादव के घर से शम्भु बीन के घर एवं द्वारिका बीन के	688310	688172

155

			घर होते हुए हीरा बीन के घर तक मिट्टी भराई एवं ईटीकरण कार्य		
06	—"—	06/16–17	वार्ड सं0–05 डॉ चन्द्रकान्त प्रसाद के क्लिनिक से सतन प्रसाद भारती के घर तरफ जाने वाली सड़क में पी.सी.सी. कार्य	942292	892055
07	—"—	07/16–17	वार्ड सं0–05 से प्रभात शर्मा के घर से शम्भु चौधरी के घर तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य।	856981	853796
08	—"—	08/16–17	वार्ड सं0–06 में बड़ादुर बीन के घर से पुरब के तरफ उमेश साह के घर एवं बिन्देश्वर साह के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 ढलाई कार्य	951413	946524
09	—"—	09/16–17	वार्ड सं0–07 में वंसराज केवट से लक्ष्मण यादव के घर तक मिट्टी भराई एवं ईटीकरण कार्य	458713	458713
10	—"—	10/16–17	वार्ड सं0–07 में गोपाल बैठा के घर से सलीक यादव के घर तक एवं त्रिलोकी सहनी के घर से सेबस राज साह के घर एवं योगेन्द्र सहनी के घर से व्यास सहनी के घर तक मिट्टी भराई एवं ईटीकरण	640855	610134
11	—"—	11/16–17	वार्ड सं0–08 में अरूण सिंह के गेट से ललन यादव के घर होते हुए राजु यादव के जमीन तक पी0सी0सी0 कार्य	950259	945508
12	—"—	12/16–17	वार्ड सं0–09 में भन्डे खाँ के घर से नदी के तरफ जाने वाली सड़क में पी.सी.सी. सड़क निर्माण	949774	949774
13	—"—	14/16–17	वार्ड सं0–10 में पारस पाल के घर से शिव मंदिर होते हुए सुदर्शन केवट के घर के तरफ आने वाली सड़क में पी0सी0सी0 ढलाई कार्य	951069	724513
14	—"—	16/16–17	वार्ड सं0–13 में कल्फ तिवारी के घर से मुंशी सहनी के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	800914	800725
15	—"—	17/16–17	वार्ड सं0–13 में कन्हैया राम के घर से रामदक्ष चौहान के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	712440	655102
16	—"—	19/16–17	वार्ड सं0–15 में रमा बैठा के घर से रियासत मिया के घर तक पी0सी0सी0 ढलाई कार्य	712440	712440
17	—"—	20/16–17	वार्ड सं0–16 में ध्रुव यादव के घर से नदी किनारे जीउत बैठा के घर तक पी0सी0सी0 ढलाई कार्य	889599	863500
18	—"—	21/16–17	वार्ड सं0–17 में जवाहर महतो के घर से सुरेन्द्र कुशवाहा के घर तक तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	901787	901787
19	—"—	22/16–17	वार्ड सं0–18 में वकिल मिया के घर से मधुसूदन राम के घर तक सड़क में पी0सी0सी0 ढलाई कार्य	825315	705395

20	—''—	24/16–17	वार्ड सं0–20 में जहुरूदिन मिया के घर से जंगली राम के घर होते हुए हरिहर यादव के घर तक पी.सी.सी. सड़क कार्य	843288	843256
21	—''—	27/16–17	वार्ड सं0–23 में अवधेश भंडसिका के घर से चंदिका राम के घर होते हुए पूर्व अध्यक्ष श्री अनिता कानोडिया के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	395934	319745
22	—''—	31/16–17	वार्ड सं0–27 में इन्तजार अहमद के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	884848	815175
23	मुख्यमंत्री शहरी नली–गली	33/16–17	वार्ड सं0–29 में हारूण मास्टर के घर से मु0 फातमा के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	801722	776398
24	—''—	35/16–17	वार्ड सं0–31 में अशोक यादव के घर से वृद्धा आश्रम होते हुए चन्दन यादव के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	951712	951712
25	—''—	36/16–17	वार्ड सं0–02 में एन0एच0 28 से मोजामिन मिया उर्फ छोटू के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 कार्य	560229	417058
26	—''—	38/16–17	वार्ड सं0–34 में वार्ड स्थान चुलिया से शम्भु कुशवाहा के घर से विक्रम सहनी के घर के तरफ जाने वाली सड़क में पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	927183	926309
27	—''—	39/16–17	वार्ड सं0–26 में रामबेलास तुरहा के घर से बालेश्वर साह के घर होते छेदी तुरहा के घर तक ईंट सोलिंग कार्य	588654	548763
28	—''—	40/16–17	वार्ड सं0–32 में अनीद मिया के घर से अनिरूद्ध भगत के घर तक पी0सी0सी0 कार्य	773770	743779
29	—''—	41/16–17	वार्ड सं0–17 में विनोद चोरसिया के घर से रमाधार सिपाही के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य	766216	757643
30	—''—	42/16–17	वार्ड सं0–15 में गेना कुशवाहा के घर से श्यामानन्द प्रसाद के घर होते हुए ललन चौधरी के घर तक पी.सी.सी. कार्य	861641	824765
					23438775

योजना प्रतिवेदन प्राक्कलन तथा मापी पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य में नाली निर्माण का न तो प्रावधान किया गया और न ही उसका निर्माण किया गया। इस सड़क के दोनो तरफ पूर्व से किसी प्रकार का नाला निर्माण भी नहीं था।

स्पष्टतः पी0सी0सी0 सड़क निर्माण के साथ–साथ नाली निर्माण आवश्यक था बशर्ते कि पूर्व में नाली न हो। सरकार के मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए योजना में अनियमित व्यय रू 23438775 किया गया।

1153

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) पी.सी.सी. सड़क निर्माण के पूर्व कोई नाला नहीं था।

(ख) सरकार के मार्गदर्शिका के विपरीत बगैर नाला के पी.सी.सी. सड़क निर्माण किया गया था।

(ग) प्राक्कलन बनाने एवं अनुमोदन के पूर्व इसकी अनदेखी की गयी थी।

(ड़) बोर्ड को बैठक पंजी में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नही किया गया था।

जवाब में बताया गया कि पी0सी0सी0 सड़क निर्माण का निरीक्षण कर तकनीकी पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन बनाया गया है उसके उपरांत कार्य किया गया है। प्राक्कलन में पूर्व नाला बना हुआ का जिक्र नहीं किया गया है जिसे शामिल किया जा रहा है।

कंडिका सं0–09 अनियमित भुगतान राशि रू 2.45 लाख

योजना संख्या–43/16–17 मद का नाम--चतुर्थ राज्य वित आयोग

योजन का नाम– वार्ड–12 में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरईपुर के परिसर में मिट्टी भराई।

प्राक्कलन की राशि– रू 711500

अभिकर्ता का नाम-- श्री प्रदीप कुमार, कनीय अभियंता

तकनीकी स्वीकृति– 08.03.16

अंतिम मापी की तिथि–17.02.17

योजना में मापी की राशि– रू 245939

अभिकर्ता को भुगतान राशि– रू 233136

कटौती की राशि– रू 12803

कुल व्यय की गयी राशि– रू 245939

अंकेक्षण टिप्पणी--

(क) राजकीय विद्यालय परिसर नगर पंचायत बरहा को परिसम्पति नहीं है। राजकीय विद्यालय परिसर अन्य विभाग का होने के बावजूद परिसर में मिट्टी भराई कार्य किया गया था। इसके लिये शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था।

(ख) प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी भराई कार्य 3046.84M^3 करना था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार 1097.23 M^3 किया गया था। आधे–अधूरे कार्य कर योजना को बंद कर दिया गया जिसके कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी।

(ग) अभिश्रव के अनुसार 388 टेलर मिट्टी यानि 388 X 80= 31040 cft लाया गया था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार 38771.50 cft कार्य में दर्शाया गया है। अधिक मिट्टी 7731.5 cft (38771.50cft–31040cft) यानि 7731.5/80 = 91.64 Tailor @ Rs. 500 per Tailor = Rs. 45500 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसकी वसूली अभिकर्ता से किया जाय।

जवाब में बताया गया कि तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य उद्देश्य के अनुसार पूर्ण किया गया है एवं कम मिट्टी की भराई के लिए तकनीकी अधिकारी द्वारा इच्छा किया गया है।

कंडिका सं0–10 अनियमित भुगतान राशि रू 0.55 लाख

योजना संख्या–03/15–16 मद का नाम–चौदहवीं वित आयोग

योजन का नाम– वार्ड–28 में रेखा देवी के घर से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक नौकी बाजार तक पी.सी.सी. निर्माण कार्य।

प्राक्कलन की राशि– रू 630700

अभिकर्ता का नाम– श्री प्रदीप कुमार, कनीय अभियंता

तकनीकी स्वीकृति– 23.04.15

अंतिम मापी की तिथि–21.12.16

योजना में मापी की राशि– रू 600161

अभिकर्ता को भुगतान राशि– रू 562273

कंटौती की राशि– रू 37888

कुल व्यय की गयी राशि– रू 600598

अंकेक्षण टिप्पणी–

प्राक्कलन के अनुसार आईटम नं0–02 Providing designation 100 Brick on edge soling -do- as per E/I - 30 % repairable दर्ज किया गया है। जिसमें राशि रू 41526 व्यय किया जाना था। जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार Providing designation 100 Brick on edge soling -do- as per E/I - 100 % repairable पर व्यय किया गया राशि रू 96923 किया गया था। मापी पुस्तिका के अनुसार 70 % repairable अधिक की राशि रू 55397 (96923– 41526) कार्य दर्शाकर अधिक भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि तकनीकी अधिकारी द्वारा ईट सोलिंग 30 प्रतिशत मरम्मति न कर 100 प्रतिशत किया गया है।

कंडिका सं0– 11 बकाया दुकान किराया रू. 9.15 लाख

कार्यालय नगर परिषद, लगहा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लेखापरीक्षा के क्रम में प्रस्तुत मांग एवं वसूली पंजी का संधारण पूर्ण रूप से नहीं किया गया था जिससे दुकान किराया की वसूली की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। प्राप्त विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल 23 दुकानों की विवरणी के अनुसार कुल रू. 915110 बकाया था।

उपर्युक्त दूकानों पर बकाये राशि के वसूली नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि बकाया भुगतान कि किराया की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है।

151

भाग– III

(समुना लेखापरीक्षा टिप्पणी)

टिप्पणी सं0–1 संपति कर बकाया की वसूली नहीं (राशि रू 7.77 लाख)

नगर परिषद, बगहा द्वारा सम्पति कर हेतु मॉग वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, फलस्वरूप सम्पति कर की वास्तविक मॉग, इसके विरूद्ध वसूली एव वर्ष के अंत में बकाया राशि की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यद्यपि नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार सम्पति कर की मॉग, वसूली एवं बकाया की स्थिति निम्नवत थी–

क्र.सं.	मद	2014–15 (लाख में)	2015–16 (लाख में)	2016–17 (लाख में)
01	बकाया मॉग	8.64	10.30	8.93
	मॉग	2.58	3.12	5.44
	कुल मॉग	**11.22**	**13.42**	**14.37**
02	बकाया वसूली	0.64	3.38	4.64
	चालू वसूली	0.28	1.11	1.96
	कुल वसूली	**0.92**	**4.49**	**6.60**
03	कम वसूली	10.30	8.93	7.77
04	वसूली का कम प्रतिशत	91.80	66.54	54.07

उपर्युक्त विवरणी के अनुसार वर्ष 2016–17 में वसूली का प्रतिशत 45.93 है। नगर परिषद द्वारा सम्पति कर 54.07 प्रतिशत की कम वसूली किया गया था।

जवाब में बताया गया कि सम्पति कर के बकाया की वसूली कर्मियों के कमी के कारण सम्भव नही हो पा रहा है। बकाया वसूली के लिए प्रयासरत है।

टिप्पणी सं0–2 सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति कर रू0 23800

नगर परिषद, बगहा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति कर की सूची के जाँच में पाया गया कि कुल 05 सरकारी भवनों पर दिनांक 31.03.2017 तक बकाया की सूची निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	सरकारी भवन का नाम	कुल बकाय राशि
01	बगहा थाना वार्ड–27	2150
02	मेन मार्केटिंग युनियन	1720
03	डी0पो0	6400
04	व्यापार मंडल व्यवस्थापक	12480
05	पोस्ट ऑफिस	1050

नगर परिषद बगहा क्षेत्राधिन सरकारी भवन पर कुल रू0 23800 सम्पति कर है और इसकी वसूली वर्षो से नहीं हो पा रहा है।

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. सम्पत्ति कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी तथा अन्य सबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. सरकारी भवनों के सम्पत्तिकर का पुनर्निर्धारण कब किया गया था अवगत नही कराया गया।
3. बकाया सम्पत्ति कर की वसूली हेतु किये गए प्रयासों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

   जवाब में बताया गया कि सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति कर वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

टिप्पणी सं0–3 बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 से 85 के अनुसार नगर निगम आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन बोर्ड में फरवरी माह के 15वीं तारीख या उसके बाद यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करेगी। सशक्त स्थायी समिति द्वारा धारा 83 (1) के अन्तर्गत प्रावधानानुसार रिपोर्ट की समक्षा कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तत करेगा। बोर्ड द्वारा 15 मार्च तक इस बजट प्राक्कलन को अंगीकार कर श्रेणी क नगर निगम के मामले में स्थानीय निकाय के निदेशक तथा श्रेणी ख एवं ग नगर परिषद के मामले में स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक को भेजेगा।

राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के निदेशक/क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा प्राप्त बजट प्राक्कलन को परिवर्तन अथवा बिना परिवर्तन के साथ 31 मार्च की तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा दी जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 82 (9) के अनुसार बजट प्राक्कलन नगर के आधार पर तैयार किया जाएगा जो घाटे का नही होगा अर्थात अन्तशेष शुन्य से कम नही होगा। देखा गया कि नगर परिषद बगहा द्वारा वितीय वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्ति की तुलना में राशि रू 3.99 करोड़ का राजस्व भुगतान अधिक दिखाया गया जिसे पूँजीगत प्राप्ति से पूरा करना है। विवरण इस प्रकार है:–

क0सं0	वर्ष	राजस्व प्राप्तियॉ	राजस्व व्यय	लाभ/हानि	सामान्य बोर्ड की बैठक में पारित होने की तिथि	सरकार को भेजे जाने की तिथि
1.	2016–17	29413000	69403000	(–) 39990000	19.02.16	अंकित नही

अंकेक्षण टिप्पणी–

वर्ष 2016–17 का बजट में राजस्व प्राप्तियॉ से अधिक राजस्व व्यय (–3.99 करोड़) का था। अधिनियम की धारा 82 (9) के अनुसार घाटे का बजट नही होना चाहिए। कम राजस्व प्राप्तियॉ की बढ़ोतरी का प्रयास नही कर सरकार द्वारा आवंटन से प्रतिपूर्ति किया गया है। नगर परिषद द्वारा राजस्व की बढ़ोतरी के लिए किये गये प्रयासो से लेखापरीक्षा का अवगत नही कराया गया।

जवाब में बताया गया कि राजस्व की बढ़ोतरी का प्रयास किया जायेगा।

1149

टिप्पणी सं0– 4 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कार्यालय नगर परिषद, बगहा के लेखा–परीक्षा के दौरान निम्न अभिलेखों/पंजियों एवं सूचना लेखा–परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण लेखा–परीक्षा में उनकी जाँच नहीं की जा सकी–

1. भविष्य निधि पासबुक
2. वाद पंजी
3. दैनिक मजदुरों के भुगतान से संबंधित पंजी
4. ट्रेड लाईसेंस संचिका, रजिस्टर
5. विज्ञापन शूल्क से संबंधित संचिका
6. परिसम्पत्ति पंजी
7. नक्शा पारित होने संबधित रजिस्टर
8. बैंक समाधान विवरणी
9. भंडार पंजी (विविध रसीद एवं सामग्री क्रय एवं स्थायी परिसम्पत्ति पंजी)
10. कोषागार प्रेषण पंजी
11. 2012–13 से 2016–17 तक का सभी मदों का आय-व्यय विवरणी
12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों से संबंधित संचिका
13. वार्षिक लेखे 2012–13 से 2016–17
14. जन्म मृत्यु से संबंधित रसीद
15. क्रय किये एल0ई0डी0 लाईट की निविदा
16. लॉगबुक

जवाब में बताया गया कि संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

टिप्पणी सं0–5 बैंक समाशोधन विवरणी तैयार कर प्रस्तुत किया जाना।

कार्यालय नगर परिषद, बगहा के लेखा–परीक्षा के दौरान दिनांक 31.03.2017 को सभी मदों के रोकड़ बही एवं बैंक पास के मिलान के क्रम पाया गया कि रोकड़ बही एवं बैंक पास/कोषागार में दर्ज राशि में अन्तर निम्न प्रकार है:–